

माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

धर्मेन्द्र ना. शंभरकर¹ & अंजलि कुमारी²

¹सहायक प्रोफेसर, म.गां.अं.हिं.वि.वि., वर्धा महाराष्ट्र

²शोधार्थी, बी.एड - एम.एड.(एकीकृत) म.गां.अं.हिं.वि.वि., वर्धा महाराष्ट्र

Abstract

कुछ मूलभूत अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म साथ ही मिल जाते है और उसके अंतिम क्षणों तक उसके साथ ही रहते हैं। जैसे, जीवन जीने की स्वतंत्रता, समता का अधिकार, विकास के अवसर प्राप्त करने के समान अधिकार या अन्य प्रकार के अधिकार, लेकिन प्रत्येक अधिकार में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। अधिकार होने के बावजूद उन्हें कई बार अधिकारों के प्रयोग से वंचित होना पड़ता है। संविधान द्वारा लिंग-भेद की समस्त परंपराओं को दरकिनार रखते हुए महिलाओं को समान अधिकार और समान सहभागिता के अवसर दिए गए हैं, लेकिन महिलाएं अपने अधिकारों का प्रयोग धरातल नहीं कर पा रही है, इसका एक कारण इनका राजनीति व समाजिक चेतना की कमी होना भी है और चेतना का सीधा सीधा संबंध शिक्षा से होता है। अगर महिलाएं शिक्षित होगी तो वे अपने अधिकारों के प्रति सजग भी होंगी और जागरूक भी। इस प्रकार महिला शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है।



Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

शिक्षा एक ऐसा सशक्त उपकरण है जो नई समाज व्यवस्था का सृजन करने के लिए महिलाओं को बनाता है। आज हमारे देश को एक विकासशील देश का दर्जा दिया जा रहा है। पूरे विश्व में भारत का नाम सभ्यता व संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। देशभर में नारी उत्थान की बात एक चर्चा का विषय बनी हुई है, परंतु इस देश की भावी पीढ़ी जिसके गर्व से जन्म लेती है उसी स्त्री को सही मायने में उसके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी सही एवं नहीं है। भारतीय महिलाओं की स्थिति प्रारंभ से ही उतार-चढ़ाव के दौड़ से गुजरती रही है। यही कारण है कि महिला विकास यात्रा

संक्रमण से गुजर रही है जिसमें सकारात्मक एव नकारात्मक दोनों ही तत्वों का समन्वय है। स्त्री की शिक्षा उसके अपने परिवार के लिए समाज के लिए तथा देश की प्रगति के लिए भी आवश्यक है। शिक्षा अन्य अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लड़कियों और महिलाओं को सक्षम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिला शिक्षा एक अच्छे समाज के निर्माण में मदद करती है। शिक्षा प्राप्त करके आर्थिक रूप आत्मनिर्भर होने का अर्थ यह नहीं है कि नारी शिक्षित होकर पुरुष को अपना प्रतिद्वंदी मानते हुए उसके सामने ही मोर्चा लेकर खड़ी हो जाए। बल्कि वह आर्थिक क्षेत्र में भी पुरुष के बराबर समानता का अधिकार प्राप्त करके उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के समिकर्ण बनने में सक्षम बने।

भारतवर्ष में महिलाओं की स्तुति की एक गौरवंवित परंपरा रही है। किंतु मध्यकाल में विदेशियों के आगमन से महिलाओं की स्थिति में जबरदस्त गिरावट आयी। अशिक्षा और रूढ़ी जकड़ती गई घर की चारदीवारी में कैद होती गई और नारी एक अबला रमणी और भोग्य वस्तु बन कर रह गई। एक तरह से यह महिलाओं के सम्मान, विकास और सशक्तिकरण का अंधकार युग था। मुगल शासन, सामंती व्यवस्था, केंद्रीय सत्ता का विनष्ट होना विदेशी आक्रमण और शासकों की विलासिता पूर्ण प्रवृत्ति ने महिलाओं को उपभोग की वस्तु बना दिया था और के कारण बाल विवाह, सदा कथा अशिक्षा आदि विविध सामाजिक कुरीतियों का समाज में परिवेश हुआ, इसमें महिलाओं की स्थिति को गंभीर बना दिया तथा उनके निजी एवं सामाजिक जीवन को कलुषित कर दिया।

19वीं शताब्दी पूर्वार्द्ध में भारत के कुछ समाजसेवियों जैसे राजा राममोहन राय, दयानंद स्वामी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर तथा केशव चंद्र सेन अत्याचारी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठायी। उन्होंने तत्कालीन शासकों के समक्ष स्त्री पुरुष समानता, स्त्री शिक्षा, सती प्रथा पर रोक तथा बहु विवाह पर रोक की आवाज उठायी का परिणाम था सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1891 में एज ऑफ कन्सटेंट बिल, 1891, बहु विवाह रोकने का समाज पर दूरगामी परिणाम

हुआ। उन्नीसवीं सदी के मध्य काल से लेकर इक्कीसवीं सदी तक आते-आते पुनः महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और महिलाओं के शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक, खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों में उपलब्धियां के नए आयाम तय किये, जिसका मूल भारतीय संविधान के अनुच्छेदों 14, 15, 16(1), 16(2), 21, 23-24, 29-30, 39(4), 42, 51, 332(1) में निहित कानूनी प्रावधान हैं। जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं के प्रति समाज के लोगों के दृष्टिकोण में जो बदलाव आया है। जब महिलाओं के अधिकार की बात की जाती है तो केवल घर कि नहीं वरन उस संस्था में भी देखने की आवश्यकता है जहां एक तबके को शिक्षा दी जा रही है। एक तबका जो शिक्षा दे रहा है और एक जो शिक्षा को ग्रहण कर रहा है। सिंह, एन. एन व राय, एस. पी (2007) महिलाओं के मानवाधिकार के संदर्भ में अध्ययन किया और पाया कि आज दुनिया के सभी मुल्कों में स्त्रियों के मानवाधिकार की व शर्तों की और भी बराबर तरीके से अवहेलना की जाती है बल्कि उन्हें मानव अधिकार के दायरे से बाहर रखा जाता है। कुलश्रेष्ठ रानी लक्ष्मी (2001) "पंचायती राज और महिला" में लिखा है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण के परिणाम स्वरूप अब महिलाओं की मनः स्थिति बदल रही है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से उन्हें जो नया परिवेश मिल रहा है, वह उनके लिए प्रगति और विकास के द्वार तो खोल ही रहा है, पुरुष तथा स्त्री के बीच समाज में जो सामाजिक विषमता है, उसमें भी कमी हो रही है। सिंह निशांत (2011) महिलाओं के अधिकारों पर जो शोध कार्य हुए हैं। इससे यह बात मजबूती से उभर कर सामने आई है कि आर्थिक विकास और स्त्री-पुरुष समानता में वैसा सापेक्ष संबंध नहीं है, जैसा आमतौर पर समझा जाता है। मानवाधिकार के मायने प्रायः पुरुषों तक ही सीमित है। आज विडंबना यह है कि मानवाधिकार कि जिस अवधारणा का जन्म व्यक्ति की गरिमा, अस्मिता और स्वाधीनता की रक्षा के लिए और उसकी बुनियादी आजादी बचाने के लिए हुआ था, वह आज ज्यादातर राजनैतिक अधिकारों या आत्मनियंत्रण की मांगों तक सिमट कर रह गया है। गुप्ता एस.एल, प्रसाद दिगंबर (2011) ने "उच्च शिक्षा के

अध्यापकों की भारत में शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का प्रभाव" और निष्कर्ष में पाया की महिला अध्यापकों में अपने व्यवसाय के प्रति पुरुष अध्यापकों की तुलना में अधिक सकारात्मक अभिवृत्ति पाई गई। शोध में यह भी सामने आया कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों में शहरी क्षेत्र के अध्यापकों में शहरी क्षेत्र के अध्यापकों की तुलना में अधिक प्रतिबद्धता एवं संतुष्टि पाई गई। इसी प्रकार के निष्कर्ष ज्यादातर शोध अध्ययनों से निकल कर सामने आया है।

हम आज भी महिला जागरूकता महिला सशक्तिकरण महिला साक्षरता समाज का महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच तथा शिक्षा से संबंधित समस्या में महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच आदि के प्रति सचेत रहते हैं। जो शिक्षा शिक्षकों द्वारा दी जा रही है उनका महिला अधिकारों के प्रति क्या अभिवृत्ति है? वैश्वीकरण के दौर में प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकार समान अधिकारों को लागू करने पर बल देती है। अनेक प्रकार की योजनाएं अनेक प्रकार की सिफारिशें आदि लागू की जा रही है। प्रस्तुत शोध में महिला अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन के माध्यम से उन बदलावों की समीक्षा की गयी है।

शोध का उद्देश्य:-

1. महिला अधिकारों के प्रति शिक्षकों के अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. लिंग के आधार पर महिला अधिकारों के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
3. सामाजिक श्रेणी के आधार पर महिला अधिकारों के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
4. विषय वर्गों के आधार पर महिला अधिकारों के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन विधि :- प्रस्तुत शोध 'माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति' के अध्ययन हेतु वर्णनात्मक अनुसंधान के सर्वेक्षण प्रविधि का चयन किया गया है।

जनसंख्या:- प्रस्तुत शोध के अंतर्गत वर्धा जिले के अंतर्गत विद्यालयों के शिक्षकों को जनसंख्या के रूप में चयनित किया गया है।

प्रतिदर्श:- प्रस्तुत अध्ययन शोध के लिए शोधकर्ता द्वारा अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सोद्देश्यपरक विधि का उपयोग करते हुए प्रतिदर्श के रूप में महाराष्ट्र के वर्धा जिले के अंतर्गत कुल 7 माध्यमिक स्तर के विद्यालयों (न्यू इंग्लिश, सुशील हिम्मत सिंग माध्यमिक विद्यालय, स्वावलंबी माध्यमिक विद्यालय, स्वावलंबी कन्या विद्यालय, म्यू कमला नेहरू विद्यालय, जगजीवन माध्यमिक विद्यालय, राष्ट्र भाषा माध्यमिक विद्यालय, रत्नीबाई माध्यमिक विद्यालय) के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के 50 शिक्षकों को न्यादर्श के रूप में चयनित किया।

प्रयुक्त उपकरण उपकरण:- प्रस्तुत शोध में शोधकर्ताओं द्वारा अभिवृत्ति मापनी का प्रयोग किया गया है जिसके अंतर्गत कुल 34 कथन दिए गए। अभिवृत्ति मापनी में प्रत्येक कथन को 5 विकल्प दिए गए, जिसमें सभी कथनों के उत्तर को सकारात्मक (5,4,3,2,1) एवं नकारात्मक (1,2,3,4,5) अंक दिए गए।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या:- प्रस्तुत अध्याय में उपयुक्त शोध विधियों के द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या को सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से की गया है और उसका विस्तृत विश्लेषण, सूचनाओं की व्याख्या एवं सांमान्यीकरण के निरूपण प्रस्तुत किया गया है।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या:- प्रस्तुत अध्याय में उपयुक्त शोध विधियों के द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या को सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से की गया है और उसका विस्तृत विश्लेषण, सूचनाओं की व्याख्या एवं सांमान्यीकरण के निरूपण को अर्थ पूर्ण चित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

उद्देश्य 1 : महिला अधिकारों के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

महिला अधिकारों के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का स्तर

वर्ग अंतराल	संख्या	प्रतिशत	अभिवृत्ति का स्तर
142-170	2	4	सर्वाधिक
115-141	44	88	औसत से अधिक
88-114	4	8	औसत
61-87	0	0	औसत से कम
34-60	0	0	न्यूनतम

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि महिला अधिकारों के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति अध्ययन करना इस उद्देश्य में शिक्षकों की प्रतिक्रियाएं में 4% शिक्षकों सर्वाधिक, है तो 88% शिक्षक औसत से अधिक है, 8% शिक्षक औसत है, औसत से कम तथा न्यूनतम में कोई भी अभिवृत्ति नहीं पाई गई। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि महिला अधिकारों के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति उच्च प्रकार की है।

उद्देश्य 2 : लिंग के आधार पर महिला अधिकारों के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

महिलाशिक्षिकाओं की अभिवृत्ति का स्तर

वर्ग अंतराल	संख्या	प्रतिशत	अभिवृत्ति का स्तर
142-170	2	8	सर्वाधिक
115-141	21	84	औसत से अधिक
88-114	2	8	औसत
61-87	0	0	औसत से कम
34-60	0	0	न्यूनतम

उपरोक्त तालिका के अवलोकन के आधार पर यह प्रदर्शित होता है कि 8% महिला शिक्षिकाओं की महिला अधिकारों के प्रति सर्वाधिक अभिवृत्ति पायी गयी है। 84% औसत से अधिक शिक्षिकाओं की महिला अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति पाई गई है। जबकि 8% औसत शिक्षिकाओं की महिला अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति पायी गयी है

तथा औसत से कम और न्यूनतम प्रकार की महिला अधिकारों के प्रति कोई अभिवृत्ति नहीं पायी गयी।

पुरुष शिक्षकों की अभिवृत्ति का स्तर

वर्ग अंतराल	संख्या	प्रतिशत	अभिवृत्ति का स्तर
142-170	1	4	सर्वाधिक
115-141	23	92	औसत से अधिक
88-114	1	4	औसत
61-87	0	0	औसत से कम
34-60	0	0	न्यूनतम

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि महिला अधिकारों के प्रति महिला शिक्षकों की तुलना में पुरुष शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति ज्यादा अभिवृत्ति पाई गई है। महिलाये 92% उच्च है तो पुरुषों की अभिवृत्ति 96% उच्च है। 8% अभिवृत्ति मध्य है और 4% पुरुष शिक्षकों की अभिवृत्ति मध्य पाई गई है। निम्न में कोई अभिवृत्ति नहीं पाई गई है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि महिला शिक्षकों के तुलना में पुरुष शिक्षकों की महिला अधिकार के प्रति ज्यादा सकारात्मक अभिवृत्ति पाई गई है।

उद्देश्य 3 :सामाजिक श्रेणी के आधार पर महिला अधिकारों के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

सामान्य श्रेणी के शिक्षकों की अभिवृत्ति का स्तर

वर्ग अंतराल	संख्या	प्रतिशत	अभिवृत्ति का स्तर
142-170	1	2	सर्वाधिक
115-141	9	18	औसत से अधिक
88-114	1	2	औसत
61-87	0	0	औसत से कम
34-60	0	0	न्यूनतम

उपरोक्त तालिका के अवलोकन के आधार पर यह प्रदर्शित होता है कि 2% शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति सर्वाधिक अभिवृत्ति पायी गयी है। 18% औसत से अधिक शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति पाई गई है। जबकि 2% औसत शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति पायी गयी है तथा औसत से कम और न्यूनतम प्रकार की महिला अधिकारों के प्रति कोई अभिवृत्ति नहीं पायी गयी।

पिछड़ावर्ग श्रेणी के शिक्षकों की अभिवृत्ति का स्तर

वर्ग अंतराल	संख्या	प्रतिशत	अभिवृत्ति का स्तर
142-170	1	2	सर्वाधिक
115-141	19	38	औसत से अधिक
88-114	1	2	औसत
61-87	0	0	औसत से कम
34-60	0	0	न्यूनतम

उपरोक्त तालिका के अवलोकन के आधार पर यह प्रदर्शित होता है कि 2% शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति सर्वाधिक अभिवृत्ति पायी गयी है। 38% औसत से अधिक शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति पाई गई है। जबकि 2% औसत शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति पायी गयी है तथा औसत से कम और न्यूनतम प्रकार की महिला अधिकारों के प्रति कोई अभिवृत्ति नहीं पायी गयी।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के शिक्षकों की अभिवृत्ति का स्तर

वर्ग अंतराल	संख्या	प्रतिशत	अभिवृत्ति का स्तर
142-170	1	2	सर्वाधिक
115-141	16	32	औसत से अधिक
88-114	1	2	औसत
61-87	0	0	औसत से कम
34-60	0	0	न्यूनतम

उपरोक्त तालिका के अवलोकन के आधार पर यह प्रदर्शित होता है कि 2% शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति सर्वाधिक अभिवृत्ति पायी गयी है। 32% औसत से अधिक

शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति पाई गई है। जबकि 2% औसत शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति पायी गयी है तथा औसत से कम और न्यूनतम प्रकार की महिला अधिकारों के प्रति कोई अभिवृत्ति नहीं पायी गयी।

उद्देश्य 4 :- विषय वर्गों के आधार पर महिला अधिकारों के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

भाषा- हिंदी, मराठी, अंग्रेजी के आधार पर अभिवृत्ति का स्तर

वर्ग अंतराल	संख्या	प्रतिशत	अभिवृत्ति का स्तर
142-170	1	2	सर्वाधिक
115-141	24	48	औसत से अधिक
88-114	0	0	औसत
61-87	0	0	औसत से कम
34-60	0	0	न्यूनतम

उपरोक्त तालिका के अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि महिला अधिकारों के प्रति, भाषा- हिंदी, मराठी, अंग्रेजी के शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति 2% सर्वाधिक अभिवृत्ति पायी गयी है। 48% औसत से अधिक शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति पाई गई है। औसत तथा औसत से कम और न्यूनतम प्रकार की महिला अधिकारों के प्रति कोई अभिवृत्ति नहीं पायी गयी।

गणित व विज्ञान विषयों के आधार पर शिक्षकों की अभिवृत्ति का स्तर

वर्ग अंतराल	संख्या	प्रतिशत	अभिवृत्ति का स्तर
142-170	0	0	सर्वाधिक
115-141	14	28	औसत से अधिक
88-114	1	2	औसत
61-87	0	0	औसत से कम
34-60	0	0	न्यूनतम

उपरोक्त तालिका के अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि गणित विज्ञान विषयों के आधार पर शिक्षकों की अभिवृत्ति 0% शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति सर्वाधिक अभिवृत्ति पायी गयी है। 28 % औसत से अधिक शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति पाई गई है। जबकि 2 % औसत शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति पायी गयी है। तथा औसत से कम और न्यूनतम प्रकार की महिला अधिकारों के प्रति कोई अभिवृत्ति नहीं पायी गयी।

सामाजिक विज्ञान विषय के आधार पर शिक्षकों की अभिवृत्ति का स्तर

वर्ग अंतराल	संख्या	प्रतिशत	अभिवृत्ति का स्तर
142-170	1	2	सर्वाधिक
115-141	7	14	औसत से अधिक
88-114	2	4	औसत
61-87	0	0	औसत से कम
34-60	0	0	न्यूनतम

उपरोक्त तालिका के अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति 2% सर्वाधिक अभिवृत्ति पायी गयी है। 14% औसत से अधिक शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति पाई गई है। जबकि 4% औसत शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति पायी गयी है तथा औसत से कम और न्यूनतम प्रकार की महिला अधिकारों के प्रति कोई अभिवृत्ति नहीं पायी गयी।

निष्कर्ष:-

प्रथम उद्देश्य महिला अधिकारों के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

महिला अधिकारों के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति सकारात्मक है। शिक्षक महिला अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। 92% शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति उच्च वृद्धि पाई गई है। मध्य में 8% शिक्षकों की अभिवृत्ति पाई गई। निम्न प्रकार की जो अभिवृत्ति है

उसमें कोई भी शिक्षक नहीं है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि महिला अधिकारों के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति सकारात्मक है।

द्वितीय उद्देश्य लिंग के आधार पर महिला अधिकारों के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

लिंग के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि महिला खुद ही अपने अधिकारों से पूर्ण रूप से वाकिफ नहीं है। या हम यह कह सकते हैं कि सभी महिला अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानती हैं। महिलाओं की महिला अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का स्तर 92% उच्च है तो वही पुरुष शिक्षकों की अगर हम बात करते हैं तो महिला शिक्षिकाओं की तुलना में पुरुष शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति उनके अभिवृत्ति का स्तर 96% उच्च है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि महिला अधिकारों के प्रति महिला से ज्यादा पुरुष शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति ज्यादा सकारात्मक अभिवृत्ति है एवं उच्च अभिवृत्ति है।

तृतीय उद्देश्य सामाजिक श्रेणी के आधार पर महिला अधिकारों के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

सामाजिक श्रेणी के आधार पर सामान्य श्रेणी के शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति उनका अभिवृत्ति का स्तर 20% उच्च है वही अगर अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों की अभिवृत्ति का स्तर महिला अधिकारों के प्रति देखते हैं तो 40% उच्च अभिवृत्ति हमें देखने को मिलता है। अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षकों की अभिवृत्ति महिला अधिकारों के प्रति 34% उच्च प्रकार की अभिवृत्ति पाई गई है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि सामान्य श्रेणी के शिक्षकों की तुलना में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति ज्यादा उच्च एवं सकारात्मक अभिवृत्ति है।

चतुर्थ उद्देश्य विषय वर्गों के आधार पर महिला अधिकारों के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

विषय वर्गों के आधार पर शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का स्तर देखते हैं तो भाषा हिंदी, मराठी, अंग्रेजी भाषा के शिक्षकों की 50% उच्च अभिवृत्ति पाई गई। गणित व विज्ञान विषयों के शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का स्तर 28% उच्च अभिवृत्ति पाई गई। सामाजिक विज्ञान विषय के आधार पर महिला अधिकारों के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का स्तर 16% उच्च पाई गई। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि जो भाषा के शिक्षक हैं जैसे हिंदी, मराठी, अंग्रेजी आदि उन शिक्षकों में महिला अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूकता है। उन विषयों के शिक्षकों के तुलना में जो गणित व विज्ञान विषयों के शिक्षक हैं। सामाजिक विज्ञान विषय के आधार पर भी देखा जाए तो महिला अधिकारों के प्रति उतना जागरूकता नहीं है जितना की एक भाषा के शिक्षकों की महिला अधिकारों उच्च आवृत्ति हमें देखने को मिला है।

शैक्षिक निहितार्थ:-

भावी शोधार्थियों के लिए- यह शोध उन शोधार्थी के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है जो महिला अधिकारों से संबंधित, विद्यालय में कार्यरत महिलाओं से संबंधित, या विद्यालय में कार्यरत पुरुष या महिला के अधिकारों का तुलनात्मक अध्ययन या कोई भी शोध कार्य करेंगे उन्हें आधार प्रधान करेगा।

शिक्षकों के लिए- यह शोध उन महिला शिक्षकों के लिए भी सहायक सिद्ध होगा। जो अधिकार प्राप्त होने के बाद भी अपने अधिकारों से वंचित है और उसका उपयोग नहीं करती। उनमें जागरूकता लाने का काम करेगा।

शैक्षिक नितिनिर्माताओं के लिए- प्रस्तुत शोध उन शैक्षिक निति निर्माताओं के लिए सहायक सिद्ध होगा जो महिला अधिकारों से संबंधित योजनाओं का निर्माण करते हैं ताकि वह कार्यरत महिलाओं के लिए अधिक से अधिक योजनाओं को लागू कर सकें उनका निर्माण कर सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- अंसारी. एम. ए.(1988), ट्राईबल एंड करेक्टिव जस्टिस सब्लाइम पब्लिकेशन्स जयपुर (इंडिया)
शर्मा. पूजा, (2012), महिलाएं एवं मानवाधिकार, सागर पब्लिकेशन्स, जयपुर
सिंह. निशान, (2010), महिला राजनीतिक और आरक्षण, ओमेगा पब्लिकेशन्स
सिंह . निशांत, (2011), स्त्री सशक्तिकरण: एक मूल्यांकन, खुशी पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
त्रिपाठी. मधुसूदन, (2010), महिला विकास एक मूल्यांकन. नई दिल्ली: ओमेगा पब्लिकेशन
पब्लिकेशन्स दरियागंज.
यादव.उत्तरा, (2004), ग्रामीण नारी परिवर्तन की ओर, साहित्य संगम इलाहाबाद